न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 34/2017 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

टीकमचन्द शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा निवासी डांगरवाडा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 14.12.2017

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) जिला जयपुर को दिनांक 25.09.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, एवं (उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ) द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 23.11.2017 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। किन्तु सूचना प्राप्त नही हुई। अपीलांट स्वयं अनुपस्थित। अपीलांट ने अभी तक सूचना नही मिलना अपील में अंकित किया है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई प्रश्नागत सूचना को छोडकर अन्य सूचना दी जा सकती है।

फलस्वरूप अपील अपीलांर्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांर्थी के प्रतिवेदन में प्रश्नात्मक सूचना को छोडकर अन्य वांछित सूचना/रिकार्ड यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है तो शीघ्र निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर–प्रथम,जयपुर